न्यायालय तहसीलदार (भू.–अ.) श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री अजीत कुमार गोदारा, तहसीलदार, श्री करणपुर

प्रकरण संख्या – 30/18

अनवान – हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम हरखास आम।

किस्म मुकदमा– वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्ता का नाम – बिशन सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 16-7-2021

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है –

प्रार्थी हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता बिशन पुत्र कर्म सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर ने चक 4 एक्स के मु0नं0 14 बीघा 14 बिस्वा नहरी किला नं 1 ता 4 सालम–सालम, 5, 6, 15 में 18–18 बिस्वा एवं 7 ता 14 कुल 8 बीघा एवं मु0नं0 10 के 9 बीघा 6 बिस्वा नहरी किला नं0 1 के 16 बिस्वा, 2, 10, 11, 20, 21 के 18–18 बिस्वा व 9, 12, 19, 22 सालम–सालम व 14 बिस्वा कुल 10 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 27.12.2001 को प्रार्थी के पक्ष में की है। जिसका प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वसीयतकर्ता ने चक 4 एक्स के मु0नं0 14 बीघा 14 बिस्वा नहरी किला नं 1 ता 4 सालम–सालम, 5, 6, 15 में 18–18 बिस्वा एवं 7 ता 14 कुल 8 बीघा एवं मु0नं0 10 के 9 बीघा 6 बिस्वा नहरी किला नं0 1 के 16 बिस्वा, 2, 10, 11, 20, 21 के 18–18 बिस्वा व 9, 12, 19, 22 सालम–सालम व 14 बिस्वा कुल 10 बीघा भूमि की वसीयत हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत नोटेरी पब्लिक श्रीकरनपुर से दिनांक 28.12.2001 को सत्यापित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें मृत्यु दिनांक 20.08.2017 को हुई है पेश किया गया है।

पटवारी हल्का 2 एक्स से रिपोर्ट प्राप्त की गई, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 52 के मु0नं0 34, 10, 55/2 में कुल 6.249 है0 नहरी मय खाला भूमि बिशन सिहं पुत्र कर्म सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, स्वअर्जित है तथा कोई भी विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु आवाप्त नहीं है, रकबा रहन है, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.अ./भूअ/2018/6549 दिनांक 14.11.2018 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपति/एतराज बाबत् किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञिप्त/सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई, जोकि दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश के दिनांक 19.12.2018 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान केवल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगागनर ने दिनांक 21.01.2020 को शपथ पत्र पेश किये कि वसीयतकर्ता बिशन सिंह पुत्र कर्म सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी, जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया और वसीयत के दूसरे गवाह टेक सिंह पुत्र ज्वाला सिंह जाति सैनी निवासी 90 ए ब्लॉक का की मृत्यु दिनांक 09.10.2007 को हो चुकी है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाह के बयान एवं सीमा संदेश मे विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है, इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नही हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा इन्तकाल ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवाये। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (भू–अ)
श्रीकरणपुर